# जवाहर कला केन्द्र

## पाक्षिक थियेटर योजना – 2019

जवाहर कला केन्द्र द्वारा गत वर्षों में साप्ताहिक नाट्य प्रस्तुतियां करवाई जाती रही हैं परन्तु बाद में इन्हें बन्द कर दिया गया था। जन सामान्य एवं कलाप्रेमियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुये इन्हें पुनः शुरू किया जाना है ताकि रंगमंच के कलाकारों को लाभ हो सके फिलहाल साप्ताहिक नाट्य प्रस्तुति के स्थान पर प्रायोगिक तौर पर पाक्षिक नाट्य प्रस्तुतियां रखा जाना प्रस्तावित है कुछ अन्तराल के पश्चात समीक्षा की जाकर साप्ताहिक किया जा सकेगा।

नाट्य प्रस्तुति में एक राजस्थान तथा एक बाहरी प्रस्तुति रखी जायेगी ताकि राजस्थान के कलाकारों को अन्य के अनुभव का लाभ भी मिल सके।

पाक्षिक नाट्य प्रस्तुति हेतु नाट्य निर्देशक/संस्था के मानदेय आदि का भुगतान एवं अन्य शर्ते निम्नलिखित अनुसार होंगीः–

### 1. भुगतान

#### i.मानदेय

1. नाट्य निर्देशक/संस्था को 25,000/– मानदेय देय होगा।

**निर्देशक/संस्था को भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से निर्देशकों/ संस्था के खाते में स्थानान्तरित किया जायेगा।**

#### ii. भोजन

1.भोजन हेतु 500/– प्रति व्यक्ति प्रति दिवस देय होगा।

2.स्थानीय निर्देशक/संस्था को 1 दिन का दैनिक भत्ता 500/– रूपये प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति देय होगा ।

3.बाहरी निर्देशक/संस्था को अधिकतम 2 दिवस का भोजन भत्ता 500/– (1000/– रूपये) की दर से प्रति व्यक्ति प्रति दिवस देय होगा।

4. 800 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर निर्देशक/संस्था के सदस्यों को अधिकतम 3 दिवस का 500/– (रूपये 1500) प्रति व्यक्ति, प्रति दिवस भोजन भत्ता देय होगा।

5. दूरी की गणना निर्देशक के आवेदन पर निर्देशक के पते से तथा संस्था के आवेदन पर संस्था के पते से किया जा सकेगा।

#### iii.यात्रा

1.निर्देशक/संस्था के सदस्यों को ए.सी. तृतीय श्रेणी रेल यात्रा अथवा इसके समकक्ष टिकिट प्रस्तुत करने पर पुनःभरण किया जायेगा।

2.जयपुर के थियेटर ग्रुप को स्थानीय परिवहन हेतु 5000/– एक मुश्त राशि का भुगतान अनुज्ञेय होगा।

### 2. आवास सुविधा

1. .बाहरी निर्देशक/संस्था के सदस्यों के आवास की व्यवस्था केन्द्र के अतिथि गृह में निम्नानुसार की जा सकेगीः–

– डोरमेट्री संख्या 5 – 13 सदस्य – डोरमेट्री संख्या 4 – 6 सदस्य

– निर्देशक के लिये केन्द्र के अतिथि गृह का कमरा संख्या 3 आवास हेतु उपलब्ध करवाया जायेगा।

2. नाट्य दल में अधिकतम सदस्य संख्या 20 होगी। दल में 20 से अधिक सदस्य होने पर आवास/भोजन/दैनिक भत्ता/यात्रा व्यय आदि की व्यवस्था केन्द्र स्तर पर न की जाकर निर्देशक/संस्था के स्तर पर स्वयं वहन करनी होगी। इसलिये यह सलाह दी जाती है कि ऐसे ही नाटक हेतु आवेदन करें जिसमें निर्देशक सहित टीम की संख्या 20 से अधिक न हो।

## 3. थियेटर उपलब्धता

1. नाटक के मंचन हेतु केन्द्र का सभागार सेट तैयारी/लाईट सैटिंग/ हेतु मंचन के दिन 11 बजे उपलब्ध करवाया जायेगा। हॉल में वातानुकुलित संयत्र का संचालन नाट्य प्रस्तुति के 2 घन्टे पूर्व संचालित किया जा सकेगा।

## 4. वाहन व्यवस्था

जयपुर के अतिरिक्त बाहरी कलाकारों के स्थानीय यातायात हेतु केन्द्र स्तर पर ही वाहन व्यवस्था की जायेगी।

## 5. अन्य शर्ते

1. नाटक की अवधि 60 मिनट से 90 मिनट होनी चाहिये इससे कम अथवा अधिक अवधि विशेष परिस्थिति होने पर ही मान्य होगी।

2. नाट्य मंचन में प्रवेश हेतु निर्देशक/संस्था द्वारा टिकट लगाया जा सकता है जो कि प्रति व्यक्ति 100/– रूपये से अधिक नहीं होगा। टिकट से प्राप्त होने वाली राशि निर्देशक/संस्था की होगी और इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व भी निर्देशक/संस्था का होगा। टिकिट पर जेकेके का नाम का संदर्भ नहीं होगा और जेकेके इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगा। यदि टिकिट तय किया जाता है तो यह शपथ पत्र देना होगा कि समस्त जिम्मेदारी निर्देशक/संस्था की होगी।

3. प्रत्येक नाट्य प्रस्तुति/मंचन में जवाहर कला केन्द्र के लिये 25 सीट निःशुल्क आरक्षित रखनी होगी।

4. नाटकों के लिये ऐसे आवेदन किये जा सकेगें जो आवेदन से पूर्व सार्वजनिक मंच पर विधिवत रूप से 2 प्रस्तुतियों का प्रदर्शन कर चुके हों। प्रमाण संलग्न करने होंगे।

5. आवेदन के साथ नाट्क की सी.डी./स्क्रीप्ट प्रस्तुत करनी होगी।

6. नाट्क का प्रस्ताव मय तकनीकी राइडर्स प्रस्तुत करना होगा।

7. जवाहर कला केन्द्र द्वारा उपलब्ध सैट/लाईट्स की सुविधा ही दी जा सकेगी। अतिरिक्त लाईट एवं सैट सामग्री जो सामान्य तौर पर उपलब्ध हो सकती हो वह ही उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी केन्द्र की होगी विशेष प्रकृति की सामग्री की आवश्यकता होने पर निर्देशक/संस्था के स्तर पर स्वयं व्यवस्था करनी होगी जिसका व्यय निर्देशक/सस्था को वहन करना होगा।

8 प्रत्येक नाट्य प्रस्तुति की रिकार्डिंग केन्द्र को किये जाने का अधिकार होगा तथा उक्त रिकार्डिंग का प्रचार–प्रसार हेतु उपयोग भी केन्द्र द्वारा किया जा सकेगा।

9. नाटकों का चयन केन्द्र द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा किया जायेगा। चयन के उपरान्त बारी–बारी सबको आमंत्रित किया जायेगा। महानिदेशक को अधिकार होगा कि विशेष मामलों में बिना आवेदन/बिना समिति की अभिशंषा के किसी नाटक को आमंत्रित कर सके।

10. नाटकों के प्रस्ताव हेतु प्रथम बार समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित/सोशल मीडिया, फेस बुक के माध्यम से आमंत्रित किये जायेंगे तथा बाद में निरंतर प्रक्रिया रहेगी तथा समय–समय पर चयन समिति प्राप्त आवेदनों पर विचार करती रहेगी।

12. नाट्य निर्देशकों/संस्था के द्वारा मात्र आवेदन करने से प्रस्तुति का अधिकार नहीं होगा।

13. नाटक का कथानक एवं प्रस्तुति किसी जाति, समुदाय, वर्ण, लिंग अथवा धर्म पर आधारित व दुर्भावना प्रकट करने वाली होने या द्वेष फैलता हो ऐसा पाये जाने पर निर्देशक की जिम्मेदारी होगी तथा केन्द्र के भविष्य के कार्यक्रमों से उन्हें वंचित किया जा सकता है।

14.आवेदन मय प्रमाण पत्र/सी.डी./हार्ड कॉपी में प्रस्तुत करने पर ही मान्य होंगे।

15.उपर्युक्त के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद अथवा निर्वचन ;पदजमतचतमजंजपवदद्ध के संबंध में कोई समस्या होने पर महानिदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

16.यह योजना कला को प्रोत्साहन हेतु जारी की जा रही है। इसके संबंध में कोई उपभोक्ता एवं सेवा प्रदाता का संबंध स्थापित नहीं होता है अतः कोई न्यायिक कार्यवाही मान्य नहीं होगी।

17.इस योजना के तहत एक संस्था/निर्देशक को दो वर्ष में एक ही बार आमंत्रित किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में महानिदेशक इस संबंध में छूट दे सकते हैं।

पाक्षिक नाट्य प्रस्तुति का मंचन माह सितम्बर, 2019 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।